

Government of Rajasthan
Finance Department
(Finance Commission & Economic Affairs Division)

NOTIFICATION

The following order made by the Governor is published for general information: -

ORDER


In pursuance of the provision of Articles 243-I and 243-Y of the Constitution of India and the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 and the Rajasthan Municipalities Act, 2009, the tenure of the Chairman and the Members of the State Finance Commission, constituted vide order dated 29th May 2015 and extended vide subsequent order dated 23rd November, 2015 (vide the notification No. F5 (1)FD/FC&EAD/SFC/2014 dated 30th May 2015 and 26th November, 2015 of Government of Rajasthan in the Finance Department) is extended upto 31st May, 2018.

20 April, 2017
Jaipur.

Sd/-
(Kalyan Singh)
Governor of Rajasthan

No. F5 (1) FD/FC&EAD/SFC/2014

Jaipur, Dated: 25th April, 2017


(Prem Singh Mehra)
Principal Secretary (Finance)

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(वित्त आयोग एवं आर्थिक मामलात डिविजन)

अधिसूचना

राज्यपाल महोदय द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सार्वजनिक जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:-


आदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-आई और 243-वाई, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के उपबन्धों के अनुसरण में आदेश दिनांक मई 29, 2015 एवं तत्पश्चात् संशोधित आदेश दिनांक नवम्बर 23, 2015 (जिसे राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5 (1) वित्त/ एफसी एण्ड ईएडी/एसएफसी/2014 दिनांक मई 30, 2015 एवं नवम्बर 26, 2015 के द्वारा प्रसारित किया गया था) के द्वारा गठित राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल दिनांक मई 31, 2018 तक बढ़ाया जाता है।

20 अप्रैल, 2017
जयपुर

ह0
(कल्याण सिंह)
राज्यपाल, राजस्थान

क्र.प 5(1)वित्त/एफसी एण्ड ईएडी/एसएफसी/2014 जयपुर, दिनांक: 25 अप्रैल, 2017


(प्रेम सिंह मेहरा) 25/04/17
प्रमुख शासन सचिव, वित्त/